182/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3

अपील भरण पोषण संख्या 182/2015 श्रीमति सुरेन्द्रकौर पत्नि श्री मरताब सिंह जाति ब्राम्हण सिख निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर बनाम 1–परमजीत सिंह उर्फ करण कालिया पुत्र श्री मेहताब सिंह जाति ब्राम्हणसिख निवासी तेजेवाला तहसील श्रीकरनपुर 2–परमवीर पुत्र मेहताब सिंह जाति ब्राम्हण सिख निवासी हाल एडवोकेट परिसर, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.01.2016

अपीलार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर उपस्थित है। उसे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया का कथन है कि उसके द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अब वह इस अपील आगे चलाना नही चाहती है। यदि उसकी यह अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है तो उसको कोई आपति नही है।

चूंकि अपीलार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर अपनी अपील पर कोई कार्यवाही नही चाहती है और आगे नही चलाना चाहती है। इसलिए उसकी यह अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थीया को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

197-98
22-1-16

आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर